



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:13750-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

लखनऊ

जनहित याचिका (पी.आई.एल.) संख्या - 923/2024

प्रभु नाथ तिवारी

.....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ द्वारा सचिव गृह मंत्रालय, नई दिल्ली एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: प्रभात कुमार उपाध्याय, रामा शंकर मिश्रा

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता: ए.एस.जी.आई., अविनाश सिंह विशेन, परमानंद अस्थाना (स्थायी अधिवक्ता), रोहित त्रिपाठी, एस.एम. सिंह रोयेकवार हेतु शुभांग चतुर्वेदी

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति

माननीय जसप्रीत सिंह, न्यायमूर्ति

1. यह रिट याचिका, याचिकाकर्ता द्वारा कथित तौर पर जनहित में दायर की गई है, जिसमें प्रत्यर्थीगण को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई है कि मिल्कीपुर-273, अयोध्या/फैजाबाद विधानसभा क्षेत्र का चुनाव उत्तर प्रदेश के अन्य 9 विधानसभा क्षेत्रों के साथ कराया जाए, जिन्हें 15.10.2014 को अधिसूचित किया गया था।
2. प्रत्यर्थी-निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता ने इंगित किया कि मिल्कीपुर-273 निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव फरवरी, 2025 के महीने में संपन्न हो चुके हैं और इसलिए याचिका निष्प्रभावी हो गई है।
3. याचिकाकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
4. दिए गए बयान के आलोक में, याचिका निष्प्रभावी होने के कारण खारिज की जाती है। यदि याचिकाकर्ता की कोई शिकायत शेष रह जाती है, तो वह याचिका को पुनर्जीवित करने की मांग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(जसप्रीत सिंह, न्यायमूर्ति) (माननीय अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

20 फरवरी, 2026

आशीष/आर.के.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"